

प्रेषक,

मो० वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

1. नगर पालिका परिषद, सीतापुर, जनपद-सीतापुर।
2. नगर पालिका परिषद, जौनपुर, जनपद-जौनपुर।
3. नगर पालिका परिषद, पीलीभीत, जनपद-पीलीभीत।
4. नगर पालिका परिषद, बेलहा-प्रतापगढ़, जनपद-प्रतापगढ़।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2024

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-125/सा०प्र०/2023-24, दिनांक-05.02.2024, पत्रांक-2046/आठ-निर्माण/न०पा०/2023-24, दिनांक-02.02.2024, पत्रांक-421/न०पा०परि०पी०/2023-24, दिनांक-30.01.2024 तथा पत्रांक-79/न०पा०परि०-2024, दिनांक-16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से क्रमशः नगर पालिका परिषद, **सीतापुर**, जनपद-सीतापुर, नगर पालिका परिषद, **जौनपुर**, जनपद-जौनपुर, नगर पालिका परिषद, **पीलीभीत**, जनपद-पीलीभीत तथा नगर पालिका परिषद, **बेलहा-प्रतापगढ़**, जनपद-प्रतापगढ़ को पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं०-37 के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि रू० 199.57 लाख, रू० 99.95 लाख, रू० 202.93 लाख तथा रू० 226.22 लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पालिका परिषद, **सीतापुर**, जनपद-सीतापुर, नगर पालिका परिषद, **जौनपुर**, जनपद-जौनपुर, नगर पालिका परिषद, **पीलीभीत**, जनपद-पीलीभीत तथा नगर पालिका परिषद, **बेलहा-प्रतापगढ़**, जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि रू० 699.25 लाख (रूपये छः करोड़ निन्यानबे लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि रू० 174.8125 लाख (रूपये एक करोड़ चौहत्तर लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) अनुदान संख्या-37, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-



|          |   |   |               |               |                |
|----------|---|---|---------------|---------------|----------------|
|          |   | 3. वार्ड अहियारपुर मो0 खासनपुर में स्व0 दरोगा पण्डा के मकान से राजेन्द्र सिंह के मकान होते हुये पीर एवं पीर से लक्ष्मी विद्या मंदिर मोड़ तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। | 8.87          |               |                |
|          |   | 4. वार्ड व मो0 अहियापुर में हरिलाल प्रजापति के घर से वंदना सरकार जी के घर तक एवं मीनू साहू के घर से प्रा0 स्कूल तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।                          | 14.43         |               |                |
|          |   | 5. मोहल्ला मिसिरपुर में प्राथमिक विद्यालय के ग्राउण्ड में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।  | 10.58         |               |                |
|          |   | 6. वार्ड डेरायुसुफ में मुख्य सड़क से रामजियावन के घर से जगदीश के प्लाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।  | 24.72         |               |                |
|          |   | 7. मोहल्ला मछरहटटा में श्याम जी उपाध्याय के घर से मेवालाल यादव के घर होते हुये जगदीश अस्थाना के घर से हरिशचन्द्र श्रीवास्तव के घर तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।        | 7.66          |               |                |
|          |   | <b>योग</b>  | <b>99.95</b>  | <b>99.95</b>  | <b>24.9875</b> |
| <b>3</b> | <b>नगर पालिका परिषद पीलीभीत, जनपद-पीलीभीत</b>             | 1. वार्ड नं0-12/1/17 में कल्लू टेंट हाउस से गैस चौराहा तक हाटमिक्स सड़क पुनर्निर्माण कार्य।   | 36.56         |               |                |
|          |   | 2. वार्ड नं0-15/24 में कमल्ले चौराहा से चौक चौराहा की ओर सी0सी0 सड़क पुनर्निर्माण कार्य।  | 23.01         |               |                |
|          |   | 3. वार्ड नं0-5 में साईं धाम मन्दिर से पूरनलाल व शिवम से माधुरीलता के मकान एवं कैलाश गिरि के मकान तक सड़क निर्माण कार्य। (नव निर्माण)  | 13.99         |               |                |
|          |   | 4. वार्ड नं0-9 बल्लभ नगर में सेलीब्रेशन हॉल से रेलवे पुलिया तक प्रीमिक्स सड़क पुनर्निर्माण कार्य।   | 6.55          |               |                |
|          |   | 5. वार्ड नं0-12/23 में रामरहीम स्कूल से शरीफ खॉ चौराहा एवं डा0 एस0 के0 सिंह तक सड़क पुनर्निर्माण कार्य।   | 28.43         |               |                |
|          |   | 6. सौरभ गंगवार के मकान से महेन्द्र गंगवार के मकान तक सड़क निर्माण कार्य। (नव निर्माण)   | 18.30         |               |                |
|          |   | 7. वार्ड नं0-14/17 में बिजली घर चौराहा से रंगीलाला चौराहा प्रीमिक्स सड़क पुनर्निर्माण कार्य।  | 8.09          |               |                |
|          |   | 8. वार्ड नं0-7 में राजेन्द्र कुमार के मकान से आनंद सिंह विष्ट एफ0सी0आई0 गोदाम के पीछे सड़क निर्माण कार्य। (नव निर्माण)  | 2.57          |               |                |
|          |   | 9. वार्ड नं0-5 रामनिवास के मकान से जगदीश आर0ए0 लाल से चन्द्र मोहन व मेवाराम के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। (नव निर्माण)  | 19.00         |               |                |
|          |   | 10. वार्ड नं0-4 एकता नगर में ओमप्रकाश के मकान से राजू ठेकेदार के मकान तक सड़क उच्चीकरण कार्य।   | 4.73          |               |                |
|          |   | 11. वार्ड नं0-18 फिरोज के मकान से अब्दुल के मकान तक सड़क पुनर्निर्माण कार्य।  | 6.38          |               |                |
|          |   | 12. प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत नगर के 35 मुख्य चौराहों पर हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन कार्य।   | 35.32         |               |                |
|          |   | <b>योग</b>  | <b>202.93</b> | <b>200.00</b> | <b>50.00</b>   |
| <b>4</b> | <b>नगर पालिका परिषद, बेल्हा-प्रतापगढ़, जनपद-प्रतापगढ़</b> | 1. बलीपुर में त्रिवेणी सिंह के घर से सुरेश कुमार सिंह के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।  | 12.39         |               |                |
|          |   | 2. दहिलामऊ दक्षिणी मोती लाल सोनी के घर से राम सिंह फौजी के घर होते हुए जे0वी0 सिंह के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।  | 12.94         |               |                |
|          |   | 3. सदर बाजार वार्ड (सरोज बस्ती) में राजकुमार के घर से दिवाकर पाल त्रिपाठी के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।  | 12.97         |               |                |
|          |   | 4. तहसील वार्ड में गुड़ड़ू जैन के घर से प्रभात सोनी के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।  | 7.63          |               |                |

|     |  |               |               |                 |
|-----|--|---------------|---------------|-----------------|
| 5.  | सगरा वार्ड में प्रतापगढ़-सिटी रोड से गोपी वर्मा के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।   | 5.29          |               |                 |
| 6.  | मीराभवन वार्ड में करनपुर बस्ती में शत्रुधन सिंह के सामने से कौशलेन्द्र सिंह के घर तक दोनों तरफ नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।   | 9.57          |               |                 |
| 7.  | तहसील/धर्मशाला वार्ड में अनिल दूबे के घर से प्रदीप खण्डेलवाल के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।  | 3.99          |               |                 |
| 8.  | दहिलामऊ उत्तरी में राकेश कुमार के घर से करूणा शंकर के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।  | 9.30          |               |                 |
| 9.  | पल्टन बाजार सिविल लाइन वार्ड में पन्ना लाल पाण्डेय के घर से संगीता गुप्ता के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।   | 9.41          |               |                 |
| 10. | पठखौली/अचलपुर वार्ड में विराट सिंह के घर से स्व0 सत्य नारायण सिंह पत्रकार के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।   | 9.48          |               |                 |
| 11. | पडाव वार्ड में सुबराती के घर से सब्बीर के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।  | 4.30          |               |                 |
| 12. | सहोदरपुर पश्चिमी मे स्टेशन रोड से संतोष विश्वकर्मा के घर तक कवर्ड नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।  | 2.22          |               |                 |
| 13. | विवेक नगर वार्ड में अनिल कुमार शर्मा के घर से सुजीत सिंह सेंगर के घर के पास विद्यालय तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।  | 3.81          |               |                 |
| 14. | अस्पताल वार्ड में मो0 अली के घर से मो0 अफजल के घर तक दोनों तरफ नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।   | 9.83          |               |                 |
| 15. | ईश्वरनाथ का पुरवा में अरविन्द्र सिंह के घर से राम चन्द्र के घर होते हुए अवधेश उपाध्याय के घर तक दोनों तरफ नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।   | 13.07         |               |                 |
| 16. | जोगापुर सैयाबांध में मुन्ना पटेल के घर से शिवशंकर गौड़ के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।   | 12.62         |               |                 |
| 17. | सहोदरपुर पूर्वी में मनीष पाल के घर से ओम प्रकाश के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।   | 5.55          |               |                 |
| 18. | रूपापुर/देवकली वार्ड में जटाशंकर पाण्डेय के घर से रामकुमार के घर तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।  | 11.96         |               |                 |
| 19. | करनपुर करमचंदा/पूरे नरसिंहभान का पुरवा में व्यायामशाला मंदिर से दूधनाथ लेखपाल का घर होते हुए हीरालाल फौजी के घर से रमेश श्रीवास्तव के घर तक के घर से नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य। | 18.47         |               |                 |
| 20. | पुरेशवराय वार्ड (जाहरगो) में शिवकुमार के घर से नरसिंह के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।  | 11.12         |               |                 |
| 21. | रूपापुर/देवकली वार्ड में विनय तिवारी के घर से अशोक कुमार श्रीवास्तव के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।  | 6.32          |               |                 |
| 22. | पुरेशवराय वार्ड (करौदी) में मुख्य सड़क के पास चन्द्र देव सिंह के घर से शिव मंगल के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।  | 15.12         |               |                 |
| 23. | पुरेशवराय वार्ड में मुख्य मार्ग से राजेन्द्र फौजी के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।  | 18.86         |               |                 |
|     | <b>योग</b>   | <b>226.22</b> | <b>200.00</b> | <b>50.00</b>    |
|     | <b>कुल योग (1+2+3+4)</b>   | <b>728.67</b> | <b>699.25</b> | <b>174.8125</b> |

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किशतों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपोजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।
- (10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।


~

- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वािरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रायोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायगा।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा।
- (17) 'सेंटेज चार्ज निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन' सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (19) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय जाप संख्या - 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (20) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
- (21) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबन्धित अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (22) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (23) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (24) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,74,81,250 (रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

2


4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-9-54। -X-2023-24, दिनांक-07 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
(मो० वासिफ)  
07.03.24  
अनु सचिव।

संख्या- Rf: 66/2024/137 /003-E-1738383, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, सीतापुर, जौनपुर, पीलीभीत, एवं प्रतापगढ़।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी०एम०यू० यूनिट, नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(मो० वासिफ)  
07.03.24  
अनु सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-07/03/2024


प्रेषण संख्या:- RF66  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-RF66-2024-137-003-E-1738383  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता  
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                |                    | 30-निवेश/ऋण          | योग                  |
|-------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | पीलीभीत-4183-जिलाधिकारी , --01--   | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>5000000   | 5000000<br>5000000   |
| 2     | जौनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--    | वर्तमान<br>प्रगामी | 2498750<br>8421750   | 2498750<br>8421750   |
| 3     | सीतापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--   | वर्तमान<br>प्रगामी | 4982500<br>4982500   | 4982500<br>4982500   |
| 4     | प्रतापगढ़-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>5000000   | 5000000<br>5000000   |
|       | योग                                | वर्तमान<br>प्रगामी | 17481250<br>23404250 | 17481250<br>23404250 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौहत्तर लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौतीस लाख चार हजार दो सौ पचास

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव